राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2366/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रताप सिंह शेखावत ओसियन पार्क 27&ए] कान्तिचन्द्र रोड] बनीपार्क] जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस विभाग, जयपुर पश्चिम, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 16-05-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री दिलावर, कानि. उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14-09-2017 के द्वारा पुलिस थाना करधनी, जयपुर के रोमनामचा दिनांक 30-08-2017 से 08-09-2017 तक की प्रति, एफआईआर संख्या 560/2017, प्राईवेट वाहनों की सूचना एवं अभियुक्त भगवान सिंह को पकडने बाबत 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 08-11-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि उसको आवेदन के बिन्दु संख्या 3 से संबंधित सूचना जो प्राईवेट वाहन से संबंधित है की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, सूचना दिलाई जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना थाना करधनी से प्राप्त कर दिनांक 04-02-2017 से प्रेषित की गई है। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 08-11-2017 से सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत सूचना अदेय मानी गई है तथा प्रकरण को जैर अनुसंधान बताया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 23-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर में रोजनामचे की प्रमाणित प्रति, चार्जशीट की प्रति व अभियुक्त को पकडने वाली टीप का विवरण अपीलोत्तर के साथ अपीलार्थी को प्रेषित किये है जिससे पर अपीलार्थी

के हस्ताक्षर दिनांक 23-04-2018 को है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 04-10-2017, 03-10-2017, प्रथम अपील निर्णय दिनांक 08-11-2017, पत्र दिनांक 12-04-2018 की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त